डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत

सत्र 2025-26 से अंगीकृत

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए

अध्यादेश

(Ordinance)

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना
(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-2090/सत्तर-3-2024-09(01)/2023(L4), दिनांक 02 सितंबर, 2024 के अनुपालन में **सत्र 2025-26** से वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP (Four Year Undergraduate Programme) के **20 क्रेडिट/सेमेस्टर** के प्रावधान को अंगीकृत कर लिया गया है | यह FYUP के सन्दर्भ में प्रथम अध्यादेश है और पूर्व में यदि कोई अध्यादेश UG, FYUP and PG के सन्दर्भ में निर्गत किया गया हो, तो यह अध्यादेश उसका स्थान ले लेगा (It will supersede all the previous relevant ordinances, rules and regulations for UG, FYUP and PG if exists) |

2. क्षेत्र (Scope)-

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०एससी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एससी० (केमिस्ट्री), बी०ए० (इकोनॉमिक्स) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, **पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।**

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिङ), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं चार वर्षीय स्नातक (मानद शोध सहित), एक वर्षीय परास्नातक, दो वर्षीय परास्नातक एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी **तालिका-1** में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०एससी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एससी० (केमिस्ट्री), बी०ए० (इकोनॉमिक्स) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि के लिए व्यवस्था **तालिका-2** में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें **सत्र 2025-26 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों** पर ही लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा-चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा-एम०सी०आई०, ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, बी०सी०आई० आदि के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं (Definitions)-

3.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)-एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), चार वर्ष की स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं चार वर्ष की स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री, एकल विषय स्नातक, एकल विषय स्नातक (मानद)

तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०एससी० (बायोटेक्नोलॉजी), बी०एससी० (केमिस्ट्री), बी०ए० (इकोनॉमिक्स) इत्यादि |

3.2. संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा-कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16(26)/2011. दिनाँक 15.06.2021 के अनुसार होगी ।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू०जी०सी० के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान एवं भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि में तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में किया गया है **(तालिका-3,4,5)**

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये (मात्र विषय चयन हेतु) अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या-1276/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनाँक 16-06-2021)

3.3. विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

(Selection of Major Subject and Minor Elective Paper)

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2(अ) जिन संस्थानों में जिस विषय में परास्नातक की सम्बद्धता है, उनको विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार उच्चीकृत कर दिया जायेगा।

(ब)जिन संस्थानों में जिस विषय में परास्नातक की सम्बद्धता नहीं है, विश्वविद्यालय ऐसे इच्छुक संस्थानों को आवेदित विषय में चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता आवेदन करने पर नियमानुसार प्रदान कर सकता हैं।

(स)विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को पृथक चार वर्षीय स्नातक (FYUP) यथा बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम आदि की सम्बद्धता नये कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकता हैं।

4.3(अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (Major) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी

को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे / अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी। ऐसे विद्यार्थियों को परास्नातक के लिए 02 वर्षो में से प्रथम वर्ष में संबंधित विषय के स्नातक (मानद) के चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रम और द्वितीय वर्ष में एक वर्षीय परास्नातक यथा पंचम वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा |

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (Minor) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.5 तीसरे गौण (Minor) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित करेगा हैं कि कौन सा कोर्स गौण (Minor) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

4.6 विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकता हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.7 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.8 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकता हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सेज की परीक्षा अपने स्तर से करवाएगा |

4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.11 एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जायेंगे ।

5.3 यदि विद्यार्थी यू०जी०सी०/PMKVY 4.0/ केन्द्र / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ /अलग-अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा ।

6.4 विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू०जी०सी० द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलाया जायेगा । भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा अथवा "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे ।,

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा।

7.2 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा। जिसका मुल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

7.3 (अ)स्नातक चतुर्थ वर्ष (मानद शोध सहित) के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

(ब)स्नातक चतुर्थ वर्ष (मानद) के विद्यार्थी को शोध परियोजना नहीं करनी होगी । इन छात्रों को स्नातक चतुर्थ वर्ष के पश्चात स्नातक (मानद) की उपाधि दी जाएगी।

7.4 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।

7.5 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी०एच०डी० की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.6 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/ कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.7 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी / मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग / इन्टर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की एक रिपोर्ट / शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा ।

7.9 सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC के नियमानुसार शोध प्रकाशन) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार / संगोष्ठी में पेपर प्रजेंन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों (अधिकतम चार विद्यार्थी) द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.10 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट / शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण (Credit and Credit Allocation)

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल /इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा निर्देश पृथक से समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाते है

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की **40 क्रेडिट की इंटर्नशिप** NATS या समकक्ष / समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत करेगा | स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) डिग्री अर्जित करने वाला विद्यार्थी यदि परास्नात्क करना चाहता है तो उसे दो वर्षीय परास्नात्क पाठ्यक्रम करना होगा |

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय सक्षम विधिक निकायों / समितियों के माध्यम से नियमों को करेगा ।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी। जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण (Attendence and Credit Assesment)

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय-सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को क्रमशः **संग्लनक-1** एवं **2** के अनुसार संचालित किया जायेगा ।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल **आंतरिक परीक्षा नहीं है**, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यॉकन करना है। एन०ई०पी०-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 (अ)मुख्य व माईनर विषयों के **केवल थ्योरी पेपर्स में** 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी।

(ब) प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यॉकन पूर्व की भाँति शासनादेश संख्या-1969/ सत्तर-3-2021, दिनॉक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी। यह एक सतत् प्रक्रिया है |

12.4 शासनादेश संख्या-2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliament), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है । सतत् आंतरिक मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय समय-समय दिशा निर्देश निर्गत करेगा |

12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra- Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

13. व्याख्या खंड (Interpretation Clause)

इस अध्यादेश के कार्यान्वयन के दौरान व्याख्या से संबंधित कोई भी मुद्दा उत्पन्न होने पर या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

तालिका-1

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC (To be in effect from 2025-26 session)

Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Research Project/ Dissertation/ Internship/ Field or Survey work	Minimum Credits for the Year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other /Own Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main subjects	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship/Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/Internship through NATs or from equivalent organization/Industry/Institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
(120+40=160) 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% or more marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
(200) Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
(216) PGDR in subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in subject	6,7,8	XII-XVI						Ph.D. Thesis	

***Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programe.**

उदाहरण (Illustration):

यदि विद्यार्थी **स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस०सी०** पाठ्यक्रम का चयन करता है तो-

- ✓ विद्यार्थी **तालिका-4** में से किन्ही दो मुख्य (Major Core) विषयों यथा Subject-I और Subject-II का चयन पूर्व-अपेक्षित अहर्ता (Pre-requisite) के आधार पर कर सकता है | जिनका अध्ययन उसे अगले 6 सेमस्टर तक करना होगा |

- ✓ प्रथम दो वर्षो में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (प्रथम से चतुर्थ तक) चयनित विषयों के 6 क्रेडिट के एक-एक पेपर का अध्ययन करेगा |

  या तो पेपर 6 क्रेडिट्स का Theory Paper होगा

  अथवा

  4 क्रेडिट्स का Theory Paper + 2 क्रेडिट्स का Practical Paper होगा

  अथवा

  2 क्रेडिट्स का Theory Paper + 4 क्रेडिट्स का Practical Paper होगा |

  इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा |

- ✓ तृतीय वर्ष में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में) चयनित दो विषयों के कुल 10 क्रेडिट के पेपरों का अध्ययन करेगा |

  या तो पेपर 5-5 क्रेडिट्स के 02 Theory Papers होंगे

  अथवा

  4 क्रेडिट्स के 02 Theory Papers + 2 क्रेडिट्स का Practical Paper होगा

  अथवा

  2 क्रेडिट्स का Theory Paper + 4 क्रेडिट्स के 02 Practical Papers होंगे |

  इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा |

- ✓ प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) और द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में 6 क्रेडिट का एक-एक **गौण (Minor) विषय** का चयनं करना होगा | विद्यार्थी द्वारा चयनित **तीसरे गौण (Minor) विषय** का आवंटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुविषयकता के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

- ✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षो में प्रथम सेमस्टर से तृतीय सेमस्टर तक एक-एक **कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)** का चयन करेगा |

- ✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षो में प्रथम सेमस्टर में चतुर्थ सेमस्टर तक एक-एक **सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)** का अध्ययन करेगा |

- ✓ स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित **तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना** करेगा।

तालिका-3

कला संकाय (Arts Faculty) के विषयों का वर्गीकरण					
Faculty of Indian Language	**Faculty of Foregin Langauge**	**Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences**	**Faculty of Fine Art Performing Art**	**Faculty of Rural Science**	**Faculty of Vocational Arts**
Hindi	French	Economics	Drawing and Painting	Community Development and Extension	Travel and Tourism Management
English	German	History	Music Instrument Tabla	Agriculture Marketing	
Urdu	Russian	Political Science	Music Instrument Sitar	Co-operation	
Sanskrit		Geography	Music (Vocal)	Rural Banking	
		Psychology		Fishries	
		Philosophy		Horticulture (Rural Science)	
		DSST/Military Studies		Village Industries	
		Education		RSCD	
		Physical Education		RECO	
		Sociology			
		Home Science			
		AIHC			
		Library & Information Science			

तालिका-4

विज्ञान संकाय (Science Faculty) के विषयों का वर्गीकरण			
Faculty of Physical Sciences	**Faculty of Life Sciences**	**Faculty of Mathematical Sciences**	**Faculty of Vocational Sciences**
Physics	Zoology	Mathematics	Instrumentation
Chemistry	Botany	Statistics	Computer Application
Industrial Chemistry	Microbiology	Computer Science	Optical Instrumentation
	Biotechnology		Electronics
	Seed Technology		
	Industrial Microbiology		
	Environment Science		
	Bio-chemistry		

तालिका-5

वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty) के विषयों का वर्गीकरण	
Faculty of Commerce	**Faculty of Vocational Commerce**
Accounts and law	Foreign Trade
Business Administration	Sales Promotion and Advertising
Applied Business Economics	Principles of Insurance

त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक/ स्नातक(आनर्स) पाठ्यक्रमों की संरचना

A1. यह सभी व्यवस्थायें **सत्र 2025-26 से एकल विषय स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों** पर ही लागू होंगी।

A2. पाठ्यक्रम (Course)- यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०ए० (अर्थशास्त्र) इत्यादि तथा एकल विषयक / संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

A3. विषय (Subject)- यथा अर्थशास्त्र, संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास, आदि।

A4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर
(Selection of Major Subject and Minor Elective Paper)

A4.1. प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। तृतीय वर्ष में विद्यार्थी स्नातक (साधारण) एवं स्नातक (मानद) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

A4.2. विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को एकल विषय स्नातक (मानद) की मान्यता/सम्बद्धता नये/पृथक कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकता हैं।

A4.3. विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि अथवा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी), बी०ए० (अर्थशास्त्र) इत्यादि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा।

A4.4. विद्यार्थी द्वारा एक गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

A4.5. तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

A4.6. विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

A4.7. विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा अपने स्तर से करवाएगा |

A4.8. यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

A4.9. एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

A5. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)

(अध्यादेश बिंदु संख्या 05 के अनुसार)

A6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

(अध्यादेश बिंदु संख्या 06 के अनुसार)

A7. शोध परियोजना (Research Project)

A7.1 एकल विषय स्नातक स्तर पर छात्र तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर में 4/5 क्रेडिट की एक-एक शोध परियोजना करेगा।

A7.2 स्नातक स्तर पर की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा। जिसका मुल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

A7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/ कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

A7.4 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी / मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग / इन्टर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

A7.5 एकल विषय स्नातक एवं स्नातक (मानद) के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

A8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण (Credit and Credit Allocation)

A8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

A8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल /इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

A8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा निर्देश पृथक से समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाते है

A8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120/130 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक/ स्नातक(मानद) डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

A8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120/130 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक/स्नातक(मानद) डिग्री प्राप्त कर सकता है।

A8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय सक्षम विधिक निकायों / समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करेगा ।

A8.7 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट / डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

A8.8 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

A9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

(अध्यादेश बिंदु संख्या 11 के अनुसार)

A10. ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को **संग्लनक-1** के अनुसार संचालित किया जायेगा ।

A11. सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

(अध्यादेश बिंदु संख्या 12 के अनुसार)

A12. व्याख्या खंड (Interpretation Clause)

इस अध्यादेश के कार्यान्वयन के दौरान व्याख्या से संबंधित कोई भी मुद्दा उत्पन्न होने पर या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में माननीय कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

तालिका-2

3 year Honours/Single subject programme structure aligned with FYUGP of UGC
Table-2(To be in effect from 2025-26 session)

Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Research Project/ Dissertation/ Internship/ Field or Survey work	Minimum Credits for the Year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-curricular Ability/ Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main subjects	
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	1 (3) Point 7.1	
(80+40=120) 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
OR									
(80+50=120) 3-year Single Subject Honours UG Degree	3	V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

*Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc(Chemistry), .

*After both the above programmes (3 year plain or Honours degree), one has to pursue 4th / 5th years of UG/PG programmes as given in Table-1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

उदाहरण (Illustration):

एकल विषय स्नातक वाले विद्यार्थी प्रथम दो वर्षो में प्रत्येक सेमस्टर में (प्रथम से चतुर्थ तक) या तो 4-4 क्रेडिट के 03 थ्योरी पेपर (Theory Paper) का अध्ययन करेगा

अथवा

4-4 क्रेडिट के 02 थ्योरी पेपर (Theory Paper) + 4 क्रेडिट का एक प्रयोगात्मक पेपर (Practical Paper) का अध्ययन करेगा |

इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा |

✓ तृतीय वर्ष में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में) या तो 4-4 क्रेडिट के 04 थ्योरी पेपर (Theory Paper) का अध्ययन करेगा

अथवा

4-4 क्रेडिट के 03 थ्योरी पेपर + 4 क्रेडिट का एक प्रयोगात्मक पेपर (Practical Paper) का अध्ययन करेगा |

साथ ही विद्यार्थी पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में 4-4 क्रेडिट की एक-एक शोध परियाजना करेगा यथा तृतीय वर्ष कुल 40 क्रेडिट्स का होगा |

इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा |

ऐसे विद्यार्थी को त्रिवर्षीय एकल विषय में स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी |

अथवा

✓ तृतीय वर्ष में विद्यार्थी प्रत्येक सेमस्टर में (पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में) या तो 5-5 क्रेडिट के 04 थ्योरी पेपर (Theory Paper) का अध्ययन करेगा

अथवा

4-4 क्रेडिट के 04 थ्योरी पेपर (Theory Paper) + 4 क्रेडिट का एक Practical Paper का अध्ययन करेगा |

साथ ही विद्यार्थी पंचम एवं षष्टम सेमस्टर में 5-5 क्रेडिट की एक-एक शोध परियाजना करेगा यथा तृतीय वर्ष कुल 50 क्रेडिट्स का होगा |

इसका निर्णय सम्बंधित बोर्ड ऑफ़ स्टडीज एवं अन्य सक्षम समिति द्वारा लिया जायेगा |

ऐसे विद्यार्थी को **त्रिवर्षीय एकल विषय में स्नातक (मानद) डिग्री** प्रदान की जाएगी |

✓ इसके अतिरिक्त एकल विषय स्नातक वाले विद्यार्थी प्रथम दो वर्षो में एक-एक तीसरे गौण (Minor) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर करेगा | तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षो में प्रथम सेमस्टर में तृतीय सेमस्टर तक एक-एक **कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses)** का चयन करेगा |

- ✓ विद्यार्थी प्रथम दो वर्षो में प्रथम सेमस्टर में चतुर्थ सेमस्टर तक एक-एक **सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)** का अध्ययन करेगा |
- ✓ विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष के चतिर्थ सेमस्टर में चतुर्थ सेमस्टर तक एक शोध परिजयोजना करनी होगी |

FYUP के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षो (बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०कॉम०) एवं त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक हेतु ग्रेडिंग प्रणाली

सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय द्वारा FYUP को अंगीकृत कर लिया गया है | इसके अंतर्गत स्नातक पाठ्यकमों में प्रथम तीन वर्षो एवं त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent		0

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत होगा।

2.2 चार सह-पाठ्यकम कोर्स (co-curricular courses) तथा द्वितीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इनका उत्तीर्णांक भी 33 प्रतिशत ही होगें।

2.3 तीन कौशल विकास कोर्स (Skill development/Vocational course) भी Credit Course है तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें। शासनादेश संख्याः 2058/सत्तर-3-2021-08 (33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण / ट्रेनिंग / प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण / ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

2.4 सभी विषयों के मुख्य/माइनर पेपर (केवल थ्योरी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (केवल थ्योरी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर (प्रेक्टिकल)/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर के अधिकतम 100 अंको की बाह्य परीक्षा विश्वविद्यलाय द्वारा करवाई जायेगी। **इनमे कोई सतत् आन्तरिक मूल्यांकन नही करवाया जायेगा |** अतः मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (प्रेक्टिकल)/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.6 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.7 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

3. कक्षान्नोति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सेमेस्टर में जिस पेपर में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा, उसे उस पेपर को बैंक पेपर (Re-Exam) के रूप में देना होगा |

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नही होगी।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टरर्स में ही उपलब्ध होगी। विद्यार्थी सुधार (Improvement) की परीक्षा केवल किन्हीं भी दो पेपर में दे सकता है।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स / पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या:- (Explanation) यदि विद्याथी सततता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6 CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः

j^{th} सेमेस्टर के लिए **SGPA(S_j) = $\Sigma(C_i x G_i) / \Sigma C_i$**	यहाँ परः C_i = number of credits of the i^{th} course in j^{th} semester. G_i=grade point scored by the student in the i^{th} course in j^{th} semester
CGPA = $\Sigma(C_j x S_j) / \Sigma C_j$	यहाँ परः S_j=SGPA of the j^{th} semester. C_j=total number of credits in the j^{th} semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियो को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

7. किसी भी विद्यार्थी को सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री तब ही प्रदान किया जायेगा, जबकि उसने अपने पूर्ण आवश्यक केडिट प्राप्त कर लिये हो |

पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन	बाहय परीक्षा (विश्वविद्यालय द्वारा)	उत्तीर्णांक
मुख्य एवं माइनर विषयों का थ्योरी पेपर	100	25	75	33 % अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। **उत्तीर्ण होने हेतु** (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाहय परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रेक्टिकल पेपर	100	**नहीं होगा**	100	33 %
सह-पाठ्यकम कोर्स	100	**नहीं होगा**	100	33 %
लघु शोध	100	**नहीं होगा**	100	33 %
कौशल विकास कोर्स	100	(अ) प्रशिक्षण / ट्रेनिंग / प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा (ब) सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा।		कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से **न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे**। प्रशिक्षण / ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

स्नातक चतुर्थ वर्ष एवं परास्नातक (एम०ए०, एस०एम०सी०, एम०कॉम०) हेतु ग्रेडिंग प्रणाली।

सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय द्वारा FYUP को अंगीकृत कर लिया गया है | इसके अंतर्गत स्नातक चतुर्थ वर्ष एवं परास्नातक पाठ्यकमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

लैटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	36-40	4
F	Fail	0-35	0
AB	Absent		0

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 मुख्य विषयों का प्रत्यके कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 36 प्रतिशत होगा । वृहद शोध परियोजना के कोर्स /पेपर भी पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इनमें भी उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत ही होगा।

2.2 सभी विषयों के मुख्य पेपर (केवल थ्योरी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। मुख्य विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (केवल थ्योरी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 27 अंक (75 का 36 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.3 सभी विषयों के मुख्य पेपर(प्रेक्टिकल)/शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर के अधिकतम 100 अंको की बाह्य परीक्षा विश्वविद्यलाय द्वारा करवाई जायेगी। इनमे कोई सतत् आन्तरिक मूल्यांकन नही करवाया जायेगा । अतः मुख्य विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (प्रेक्टिकल)/शोध परियोजना में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.4 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.5 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

3. कक्षान्नोति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। वर्तमान सेमेस्टर में जिस पेपर में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा, उसे उस पेपर को बैक पेपर (Re-Exam) के रूप में देना होगा ।

3.2 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसको न्यनूतम 4.5 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातक (मानद) अथवा स्नातक (एप्रिन्ट्सिप एम्बेडिड) की उपाधि दी जायेगी।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement)

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नही होगी।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टरर्स में ही उपलब्ध होगी। विद्यार्थी सुधार (Improvement) की परीक्षा केवल किन्हीं भी दो पेपर में दे सकता है।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स / पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है।

4.5 काल अवधिः किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी। व्याख्याः- (Explanation) यदि विद्यार्थी सततता में दोनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम छः वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पश्चात् स्नातक (मानद अथवा मानद शोध सहित) की उपाधि लेकर चला जाता है तो वह परास्नातक के एक वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के एक वर्ष की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष मिलेगें।

5. CGPA की गणना

5.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः

j^{th} सेमेस्टर के लिए **$SGPA(S_j) = \Sigma(C_i x G_i) / \Sigma C_i$**	यहाँ परः C_i = number of credits of the i^{th} course in j^{th} semester. G_i=grade point scored by the student in the i^{th} course in j^{th} semester
$CGPA = \Sigma(C_j x S_j) / \Sigma C_j$	यहाँ परः S_j=SGPA of the j^{th} semester. C_j=total number of credits in the j^{th} semester.

5.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

5.3 विद्यार्थियो को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

5.4 किसी भी विद्यार्थी को डिग्री तब ही प्रदान की जायेगी, जबकि उसने अपने पूर्ण आवश्यक क्रेडिट्स प्राप्त कर लिये हो |

पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	सतत् आंतरिक मूल्यांकन	बाह्य परीक्षा (विश्वविद्यालय द्वारा)	उत्तीर्णांक
मुख्य विषय के थ्योरी पेपर	100	25	75	36 % अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। **उत्तीर्ण होने हेतु** (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 27 अंक (75 का 36 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।
मुख्य विषय के प्रेक्टिकल पेपर	100	नहीं होगा	100	36 %
शोध परियोजना	100	नहीं होगा	100	36 %

Options Regarding Selection of MINOR paper in UG I and II year as per FYUP

S.No.	Level		Options	
1	UG First Year (either in I or II Semester)	If opted in Semester-I	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-I	**OR** Any one paper among listed by University from SWAYAM Portal or any other Online platform. University will provide a list of Online Papers at the beginning of each session.
		If opted in Semester-II	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-II	
2	UG Second Year (either in III or IV Semester)	If opted in Semester-III	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-I and III	
		If opted in Semester-IV	May select any paper of 06 credits among the paper taught in semester-II and IV	

Note: The provision of multi-faculty is to be maintained as per NEP-2020.